

**अनुदान संख्या 83 - जैव-प्रौद्योगिकी विभाग**  
**GRANT No. 83-DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY**

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	694,70,00		
पूरक	Supplementary	8,30,00		
		703,00,00	636,62,24	-66,37,76
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			65,05,00

**टीका और टिप्पणियां****Notes and comments**

1. अनुदान में, कुल बचतें (6637.76 लाख रु.) मार्च, 2008 में प्राप्त किए गए 830.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 9 प्रतिशत थीं।

1. In the grant, the overall savings (Rs.6637.76 lakhs) exceeded the supplementary grant of Rs.830.00 lakhs obtained in March, 2008 and constituted 9 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "3451" सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat-Economic Services			
मू.	O.	596.00		
पू.	S.	30.00		
		626.00	620.30	-5.70
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas			
मू.	O.	6750.00		
पू.	S.	80.00		
उ.	R.	-6830.00		
		..	..	..

	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
			(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3425"	Major Head "3425"				
अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	Other Scientific Research				
मू.	O.	62124.00		63169.00	63041.94
पू.	S.	720.00			
पु.	R.	325.00			

(I) 6830.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष "2552" - "अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान - अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत दो मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) "जैव सूचना विज्ञान" - 225.00 लाख रु.; और

(खा) "अनुसंधान और विकास" - 6605.00 लाख रु. (80.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित)।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के अंतर्गत दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष "3451" - "सचिवालय - जैव-प्रौद्योगिकी विभाग" - 588.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 30.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 618.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो 5.60 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा; और

(खा) मुख्य शीर्ष "3425" - "अन्य - अंतर्राष्ट्रीय सहयोग - अंतर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय कार्यक्रम और वैज्ञानिक परामर्शदात्री समिति (समुद्रपार)" - 1350.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को

(I) Provision of Rs.6830.00 lakhs remained wholly unutilised in two cases under Major Head "2552" - "Other Scientific Research - Assistance to Other Scientific Bodies" - under the following heads:-

(A) "Bioinformatics" - Rs.225.00 lakhs; and

(B) "Research & Development" - Rs.6605.00 lakhs (including supplementary grant of Rs.80.00 lakhs).

Provisions under the above two heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(A) Major Head "3451" - "Secretariat - Department of Biotechnology" - the original provision of Rs.588.00 lakhs was augmented to Rs.618.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.30.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.5.60 lakhs; and

(B) Major Head "3425" - "Others - International Co-operation - International Bilateral Programmes and Scientific Advisory Committee (Overseas)" - the original provision of Rs.1350.00

100.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1450.00 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, जो 25.78 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें घरेलू/विदेशी यात्रा संबंधी बिलों के कम प्राप्त होने के कारण हुईं।

(III) मुख्य शीर्ष "3425" - "अन्य - अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "स्वायत्तशासी अनुसंधान और विकास संस्थाएं (वैज्ञानिक संस्थाएं/व्यावसायिक निकाय)" - 926.00 लाख रु. की बचत (13414.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(खा) "सामाजिक विकास के लिए जैव प्रौद्योगिकी" - 101.14 लाख रु. की बचत (1350.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(गा) "आई एंड एम सेक्टर - प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटर्स, प्रायोगिक परियोजनाओं, जैव प्रौद्योगिकी पार्कों और जैव प्रौद्योगिकी विकास निधि के लिए सहायता" - 200.04 लाख रु. की बचत (900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(घा) "आई एंड एम सेक्टर - सार्वजनिक और निजी भागीदारी" - 1044.45 लाख रु. की बचत (5400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ड) "उत्कृष्टता और अभिनव परिवर्तन के संवर्धन के लिए कार्यक्रम" - 206.67 लाख रु. की बचत (4770.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत बचतें तकनीकी समिति द्वारा निधीयन के लिए कम संख्या में परियोजनाओं को उपयुक्त पाए जाने के कारण हुईं।

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (2764.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "3425" - "अन्य - अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के

lakhs was augmented to Rs.1450.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.100.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.25.78 lakhs.

Savings under the above two heads were due to receipt of less bills towards domestic/foreign travel.

(III) Under Major Head "3425" - "Others - Assistance to other Scientific Bodies" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Autonomous R and D Institutions (Scientific Institutions/Professional Bodies)" - saving of Rs.926.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.13414.00 lakhs);

(B) "Biotechnology for Societal Development" - saving of Rs.101.14 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1350.00 lakhs);

(C) "I and M Sector - Assistance for Technology Incubators, Pilot Projects, Biotechnology Parks and Biotech Development Fund" - saving of Rs.200.04 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.900.00 lakhs);

(D) "I and M Sector - Public Private Partnership" - saving of Rs.1044.45 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5400.00 lakhs); and

(E) "Programme for Promotion of Excellence and Innovation" - saving of Rs.206.67 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4770.00 lakhs).

Savings under the above five heads were due to less number of projects found fit for funding by the Technical Committee.

2. The above savings were partly (Rs.2764.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.830.00 lakhs under Major Head "3425" - "Others -

अंतर्गत 830.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) "मानव संसाधन विकास" - 856.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 611.67 लाख रु. था।

(खा) "अनुसंधान और विकास" - 1908.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 2074.90 लाख रु. था।

Assistance to other Scientific Bodies" - under the following heads:-

(A) "Human Resource Development" - Rs.856.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.611.67 lakhs.

(B) "Research and Development" - Rs.1908.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.2074.90 lakhs.

---